

उच्च न्यायालय उत्तराधारा , नैनीताल मे

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा ए0 सी0 जे0 एवं

न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे जे0

वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण संख्या 22/2013 दिनांकित 22 अप्रैल 2022

के मध्ये:

मेसर्स टाइगर स्टील इंजीनियरिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड ,.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

आयुक्त, वाणिज्यिक कर.....

प्रत्यार्थी

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से : श्री एस 0 के 0 पोसती, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पोसती की सहायता सहित

प्रत्यार्थी की ओर से : श्री मोहित मौलखी, विद्वान ब्रीफ होल्डर राज्ये की ओर से

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया

निर्णय: (द्वारा श्री एस 0 के0 मिश्रा, ए 0 सी0 जे0)

इस मामले में विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

" i. Whether on the facts of the case, the learned Commercial Tax Tribunal was justified in law in not giving the benefit of input tax credit regarding those goods which were consumed by the petitioner during the manufacturing of finished goods (pre-fabricated structures)?

Whether on the facts of the case, the learned Assessing Authority and the learned Commercial Tax Tribunal was justified in law in not giving the input tax credit to the revisionist regarding those goods which were approved by the Assessing Authority as goods essential for manufacturing the finished goods on the garb of goods treated as consumable?

Whether on the facts of the case, the leaned Assessing Authority and the learned Commercial Tax Tribunal was justified in law in giving the benefit of notification dated 31.03.2008 prospectively?"

2. इस पुनरीक्षण के माध्यम से, पुनरीक्षणकर्ता निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को

चुनौती देता है, जिसके द्वारा निर्धारण प्राधिकरण ने उन वस्तुओं, विशेष रूप से वेलिडिंग इलेक्ट्रोड, जिनका उपयोग तैयार माल के निर्माण में किया गया है, को पुनरीक्षणकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। आकलन का आदेश 25.06.2010 को पारित किया गया था। उक्त आदेश को 2012 की दूसरी अपील संख्या 25/2012 में विद्वान वाणिज्यिक कर अधिकरण देहरादून (जिसे इसके पश्चात् संक्षिप्तता के लिए "अधिकरण" कहा गया है) के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे 25.06.2013 को भी खारिज कर दिया गया था। यह मामला निर्धारण वर्ष 2006-07 से संबंधित है।

3. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि निर्धारण प्राधिकरण ने पुनरीक्षणकर्ता के वाणिज्यिक कर का आकलन करते समय कुछ वस्तुओं, विशेष रूप से वेलिडिंग इलेक्ट्रोड, जिनका उपयोग पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्व-निर्मित संरचनाओं के निर्माण में किया जाता था, को उपभोग के रूप में माना, न कि कच्चे माल के रूप में, और इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से वंचित कर दिया गया था। पुनरीक्षणकर्ता ने विद्वत अधिकरण के समक्ष उक्त आकलन आदेश को चुनौती दी, जिसने अपने आक्षेपित आदेश में कहा है कि उत्तराधारा मूल्य वर्धित कर, 2005, संशोधन अधिनियम, 2008 प्रभावी रूप से लागू किया गया था और यह उन उपभोग्य सामग्रियों पर लागू नहीं है जिनका उपयोग निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए किया गया था। विद्वत अधिकरण यह भी अभिनिर्धारित किया कि वे सामग्रियाँ, विशेष रूप से वेलिडिंग इलेक्ट्रोड, उपभोग्य वस्तुएँ थीं, और इसलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं हैं।

4. श्री एस 0 के 0 पोसती 0 पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, पोस्टी, शुरू में, स्वीकार करते हैं कि संशोधनवादी, इस स्तर पर, यह दलील नहीं उठाते हैं कि वेलिडिंग इलेक्ट्रोड उपभोग्य हैं, और यह कि यह संशोधन अधिनियम, 2008 के अधीन आते हैं। दूसरी ओर, वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का आधार लेते हुए यह तर्क देते हैं कि वेलिडिंग इलेक्ट्रोड पुनरीक्षणकर्ता द्वारा संचालित उद्योग के लिए कच्चा माल हैं। इस तरह के वेलिडिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है, और वे इलेक्ट्रोड अपना चरित्र खो देते हैं और निर्धारिती के तैयार उत्पाद में पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं, और इसलिए, उन्हें कच्चे माल के रूप में माना जाना चाहिए, न कि उपभोग्य के रूप

में।

5. इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर विचार किया गया है। "कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, नई दिल्ली बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1990) 77 एसटीसी 282 " के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की कि "क्या सोडियम सल्फेट जो सोडियम सल्फाइड के रासायनिक वसूली चक्र में उपयोग किया जाता है जो एक कागज और कागज बोर्डों के निर्माण में पाचन क्रिया में उपयोग की जाने वाली सल्फेट खाना पकाने की शराब का आवश्यक घटक कच्चा माल है या नहीं?" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी वस्तु को "कच्चे माल" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है, और सभी मामलों में अंतिम उत्पाद में जाना और पाया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इस घटक का सेवन किया गया था और इसे जला दिया गया था, इससे यह नहीं माना जा सकता कि वह कच्चा माल न रहा हो। सोडियम सल्फेट का उपयोग गूदे के 'पाचन' के चरण में एक पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती उत्पाद की तैयारी में किया गया था। यह वस्तुओं के अंतिम उत्पादन के साथ इतना एकीकृत रूप से जुड़ा हुआ है कि, लेकिन उस प्रक्रिया के लिए, वस्तुओं का निर्माण या प्रसंस्करण व्यावसायिक रूप से अक्षम होगा। इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि सोडियम सल्फेट का उपयोग अधिसूचना संख्या 105/82-सीई, दिनांक 28.02.1982 के अर्थ के भीतर "कच्चे माल" के रूप में कागज के निर्माण में किया गया था।

6. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1994) 6 एस. सी. सी. 479 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिहार वैट अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) के उपबंधों की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि बैटरी, टायर और ट्यूब, जो स्वयं ही तैयार उत्पाद हैं, जब उन्हें किसी वाहन में फिट किया जाता है तो वे कच्चा माल होंगे। उन्होंने कहा, "इसलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या टायर, ट्यूब, बैटरी आदि जैसी वस्तुएं हैं या नहीं। अपीलकर्ता द्वारा वाहनों के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदी गई जो अन्यथा तैयार उत्पाद हैं, 1% पर कर की रियायती दर का लाभ उठा सकते हैं। यह अधिसूचना में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'औद्योगिक कच्चे माल (निवेश)' के निर्माण और समझ पर निर्भर करेगा। अधिनियम में 'कच्चा-पदार्थ' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इसे

सामान्य और अच्छी तरह से स्वीकार किए गए अर्थ में उन व्यक्तियों की आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए जिसका इससे सरोकार है। शब्दकोश के अनुसार, इसका अर्थ है 'कुछ ऐसा जो वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है'। इसकी सामान्य सामान्य समझ यह है कि यह एक ऐसी चीज है जिससे एक और नई या विशिष्ट वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है।"

7. बी०ओ०सी० इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य, और टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में, [(2009) 21 वीएसटी 490 (एससी)], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि "इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त ऑक्सीजन एक कच्चा माल है या नहीं?" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य के मामलों में (2005) 4 एससीसी 272; केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर); और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (ऊपर) और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्टील के निर्माण के समय लांस के माध्यम से भट्टी में इंजेक्ट किया जाने वाला ऑक्सीजन, हालांकि यह अंतिम उत्पादों में अपना चरित्र खो देता है, स्टील के निर्माण में एक आवश्यक कच्चा माल है।

8. मौजूदा मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि संशोधनवादी-फर्म पूर्व-निर्मित संरचनाओं का निर्माण कर रही है जिसमें गैस और विद्युत वेल्डिंग शामिल है। दूसरे शब्दों में, गैस और विद्युत वेल्डिंग निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह भी सर्वविदित है कि वेल्डिंग की प्रक्रिया में, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बहुत आवश्यक हैं। हालांकि, वे अंतिम उत्पाद में अपने चरित्र और प्रकृति को खो देते हैं, लेकिन, फिर भी, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बिना, एक वेल्डिंग नहीं हो सकती है, और पूर्व-निर्मित उत्पादों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि जहां तक पूर्व-निर्मित उत्पादों के निर्माण का संबंध है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड "कच्चा माल" हैं, और इसलिए, विद्वान आकलन प्राधिकरण के साथ-साथ विद्वान अधिकरण ने कर देयता का आकलन करने वाले पुनरीक्षणकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देकर रिकॉर्ड पर त्रुटि की है।

9. तदनुसार, पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है। दिनांक 25.06.2010 और 25.06.2013 के आदेश निर्धारित किए गए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देकर पुनरीक्षणकर्ता की कर देनदारी का

पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मामला निर्धारण प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है। हमने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम, 2008 प्रभावी रूप से पिछले समय से नहीं है और निर्धारण वर्ष 2006-07 पर लागू नहीं है।

10. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की जाए।

एस 0 के0 मिश्रा0 (ए 0 सी 0 जे0)

आर0 सी 0 खुलबे0, जे0

दिनांक: 22 अप्रैल 2022

निशांत